

दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व विनिमय

डिक्री

दिनांक :- 19/12/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस.</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होंगे पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से विनिमय किया जाता है:-

- क. वादी मंगल सिंह को चक 7 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 104 के प.नं. 36/284 की कुल 3.795 हैक्. नहरी मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 463/3795 हिस्सा मे से 0.405 हैक्. कृषि भूमि प्राप्त हुई
- ख. प्रतिवादी सं. 1 सुलखण सिंह:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
7 एलजीडब्ल्यू-ए	38/284	23/2, 24	0.380 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंगे तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)  
सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

